वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2017-18

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

Joint Electricity Regulatory Commission
(for the State of Goa and Union Territories)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

वित्तीय वर्ष **2017–18**
के लिए

10वीं वार्षिक रिपोर्ट
(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत)

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट नं. 55–56, पाथकाइंड लैब बिल्डिंग,
सेक्टर–18, उद्योग विहार, फेज–IV, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा)
वेबसाइट: www.jercuts.gov.in
ई–मेल: secy-jerc@nic.in

विषय–वस्तु

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ सं.
	अध्यक्ष महोदय की डेस्क से	3
1.	**आयोग का संगठनात्मक ढांचा**	
1.1	प्रस्तावना	4
1.2	आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल	5–6
1.3	आयोग का कार्यालय	7
1.4	संगठनात्मक संरचना	8
2.	**विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन आयोग की भूमिका**	
2.1	अधिनियम की प्रस्तावना	9
2.2	आयोग को अधिदेशित कार्य	9–10
3.	**वित्तीय वर्ष 2017–18 की विशेषताए**	
3.1	नए विनियमों का गठन/संशोधन	11
3.2	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर तथा टैरिफ का निर्धारण	12
3.3	जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में विद्युत कंपनियों के महत्वपूर्ण मानक	13
3.4	राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	14
3.5	याचिकाओं की स्थिति	15
3.6	विवादों और मतभदों का अधिनिर्णय	16–17
4.	**वार्षिक लेखा**	
4.1	आय एवं व्यय विवरण	18–19
4.2	शुल्क एवं प्रभार	20
5.	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना**	20
6.	**आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना**	21–22
7.	**अनुलग्नक**	23–27

अध्यक्ष महोदय की डेस्क से

मुझे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह वार्षिक रिपोर्ट विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई है, और इसमें वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक खातों की झलक के साथ–साथ आयोग द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश शामिल है; और इसके अलावा, आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजनाबद्ध गतिविधिया भी शामिल हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आयोग ने पहली बार सभी नौ टैरिफ आदेश अधिनियम के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर, अर्थात् 31 मार्च, 2018 से पहले जारी किए, जिसमें वितरण उपयोगिताओं, जैसे कि गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के लिए 7 वितरण खुदरा टैरिफ आदेश, पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक उत्पादन टैरिफ ऑर्डर और दादरा और नगर हवेली की ट्रांसमिशन उपयोगिता के लिए एक ट्रांसमिशन टैरिफ ऑर्डर शामिल हैं। टैरिफ आर्डर जारी करने की प्रक्रिया में वित्त वर्ष 2018–19 के लिए खुदरा टैरिफ, पिछले वर्ष का ट्रू–अप लेखा परीक्षित खातों और पिछले वर्ष के अनुमानों के आधार पर वार्षिक निष्पादन समीक्षा शामिल है।

वर्ष के दौरान, आयोग ने ओपन एक्सेस पर अपने मौजूदा विनियमों को निरस्त करने के बाद जेईआरसी (अंतर–राज्यीय ट्रांसमि"ान एवं वितरण में कनेक्टिविटी और निबार्ध पहुंच) विनियम, 2017 को 14.03.2018 को अधिसूचित किया था। आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान नए आपूति कोड विनियम, नए जेईआरसी बहुवर्षीय टैरिफ विनियम वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 दूसरी नियंत्रण अवधि हेतु और नए सौर ऊर्जा ग्रिड से संबद्ध विनियमों को जारी/अधिसूचित करने की योजना भी बनाई है।

आयोग हमेशा से क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार करते हुए सरकार के राष्ट्रीय मिशन की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रहा है। इसके लिए आयोग ने सौर ऊर्जा ग्रिड से संबद्ध और मीटरिंग विनियमों को लागू किया है; और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए सौर शुल्क भी जारी किया है। आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेते हुए आरपीओ विनियमों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं को पूरा करने में कंपनियों के निष्पादन की निगरानी करने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा, आयोग 100% उपभोक्ताओं की मीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों की मीटरिंग और बिलिंग स्थिति के मामले में अपनी ओर से सुनवाई भी कर रहा है। आयोग ने स्वतंत्र लोकपाल और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों की समयबद्ध तरीके से नियुक्ति करके बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

आयोग बिजली क्षेत्र में स्वस्थ और अनुकूल माहौल बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है, सुनवाई/सार्वजनिक सुनवाई और बैठक के माध्यम से उपभोक्ता संगठनों, उद्योग एसोसिए"ानों, बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दो पर निरंतर बातचीत करता है तथा उपयोगिताओं/राज्य सलाहकार समिति के साथ बैठकें करता है।

इस अवसर पर, मैं विद्युत मंत्रालय तथा जेईआरसी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों/गणमान्य व्यक्तियों का भी उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

एम. के. गोयल

एम.के.गोयल
अध्यक्ष

आयोग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' नामक एक दो सदस्यीय (अध्यक्ष सहित) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित था, का गठन किया, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर द्वारा अधिसूचित किया गया। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने के बाद, आयोग को 'गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के नाम से जाना जाने लगा जो कि दिनांक 30 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 23/52/2003 – आरएंडआर (खंड–II) द्वारा अधिसूचित किया गया। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से कार्य करना आरंभ किया। आयोग का कार्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुड़गांव नगर में एक किराए के भवन में अवस्थित है।

वर्ष के दौरान आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में एक उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष विनियामक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया है। आयोग की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है।

आयोग के पास, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी जांच अथवा कार्यवाही के प्रयोजन से वही शक्तियां हैं जो अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध विषयों के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

आयोग के समक्ष चलने वाली सभी कार्यवाहियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां माना जाता है और दंड संहिता प्रक्रिया, 1973 को धारा 345 और 346 के प्रयोजन के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है। आयोग को विद्युत उत्पादन कंपनियों और लाइसेंस जारीकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय करने अथवा इनकी मध्यस्थता करने और इनका निपटान करने के लिए माध्यस्थ मनोनीत करने की संपूर्ण अधिकारिता है।

1.2 आयोग के सदस्यों का प्रोफाइल

श्री एम.के.गोयल
अध्यक्ष

श्री एम.के. गोयल ने 17 फरवरी 2017 को गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।

कानपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्री गोयल को विभिन्न विद्युत क्षेत्र का 37 वर्ष से अधिक का अनुभव है। जेईआरसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, जो एक नवरत्न पीएसयू है ओर देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी है। उनके पास पीएफसी में पॉवर फाइनेंसिंग का लगभग 28 वर्ष, और 1988 में पीएफसी में शामिल होने से पहले एनएचपीसी में 9 वर्ष का बिजली उत्पादन का अनुभव है। उनके पास पीएफसी में बोर्ड स्तर का 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

सीएमडी, पीएफसी के रूप में उनके नेतृत्व में, बिजली क्षेत्र में कड़ी चुनौतियां होने के बावजूद, पीएफसी ने वित्तीय और परिचालन निष्पादन में बढ़ोतरी सहित व्यापार में वृद्धि दर्ज की है। परिणामस्वरूप, 31.03.2016 को निवल मूल्य (सभी भंडार) के आधार पर पीएफसी देश में सबसे बड़ा एनबीएफसी है और डीपीई सर्वेक्षण 2016 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाला 5वां सबसे बड़ा पीएसयू है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013–14 और वित्त वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समझौता–ज्ञापन लक्ष्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की है, जिसमें सीएमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पीएफसी को लगातार 2 वर्ष तक 1.00 का उच्चतम समझौता–ज्ञापन अंक प्राप्त हुआ था।

उन्होंने भारत सरकार की पहल की अगुवाई करते हुए विभिन्न विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, जिसमें एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उदय, 24x7 सभी के लिए बिजली आदि शामिल थे। उन्होंने यूएमपीपी, आईटीपी, यूएमपीपी बोली दस्तावेजों की समीक्षा आदि जैसी भारत सरकार की अन्य पहलों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने नीतिगत और विनियामक क्षेत्रों से संबधित विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में बिजली क्षेत्र और वित्तीय उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है (1) नीतिगत मुद्दों पर सीईआरसी को सलाह देने के लिए 'केंद्रीय सलाहकार समिति' (सीएसी) (2) सीईए द्वारा गठित राष्ट्रीय विद्युत योजना के लिए 'निधियों की आवश्यकता', (3) विनियामक परिवर्तनों आदि के लिए आरबीआई के साथ वित्त–पोषण के मुद्दों को उठाने के लिए 'वित्त–पोषण के बुनियादी ढांचे पर उच्च स्तरीय समिति'।

श्रीमती नीरजा माथुर
सदस्य

वर्ष के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर ने दिनांक 26.08.2015 से संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के सदस्य का कार्यभार संभाला। पहले, श्रीमती नीरजा माथुर 01.11.2013 से 31.12.2014 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष पद पर रहीं। सीपीईएस कैडर की अधिकारी, श्रीमती नीरजा माथुर जुलाई 1979 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक निदेशक के रूप में सीईए में शामिल हुई थी और उनके पास सीईए में विभिन्न पदों पर अपने व्यापक और विविध कार्य अनुभव के दौरान विद्युत क्षेत्र के विकास में लगभग 34 वर्षों का बहुआयामी अनुभव है। श्रीमती नीरजा माथुर आईआईटी, रूड़की से स्नातक डिग्री तथा आईआईटी, दिल्ली से एम.टेक डिग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की विधा में एक तकनीकी प्रोफेशनल हैं।

विद्युत प्रणाली संरक्षण और इंस्ट्रूमेंटेशन तथा पारेषण योजनाओं के क्षेत्र में आरंभिक कार्यकाल में, श्रीमती नीरजा माथुर ने विद्युत क्षेत्र में योजना, लोड डिस्पेच और दूरसंचार सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया। समेकित संसाधन योजना प्रभाग में निदेशक और मुख्य अभियंता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्रीमती नीरजा माथुर अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उत्पादन योजना और लोड पूर्वानुमान से संबद्ध रही। देश में समेकित संसाधन नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना अवधियों के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना और कार्यकारी समूह रिपोर्टें तैयार करने में वे काफी सक्रिय रहीं। उन्होंने विस्तृत रूप से 11वीं योजना और 12वीं और 13वीं योजना के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल 2007 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करने में कारगर भूमिका अदा की। प्रचालन निगरानी प्रभाग के मुख्य अभियंता के रूप में, उन्हें देश में विद्युत स्टेशनों की ईंधन निगरानी ओर ईंधन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया।

श्रीमती नीरजा माथुर ने ग्रिड प्रबंधन, वितरण प्रणाली कार्यशीलता और उत्पादन इकाइयों के प्रचालन निष्पादन की जिम्मेदारी के साथ 1 मार्च, 2013 से सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सीईए और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1 नवम्बर 2013 से सीईए के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में, श्रीमती नीरजा माथुर पूर्णरूप से देश के विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं के समग्र नियोजन और समन्वय में शामिल रहीं। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ ही पारेषण प्रणाली के अनुरूप विकास को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।

सीईए के अध्यक्ष के पद से संलग्न जिम्मेदारियों के भाग रूप में, श्रीमती नीरजा माथुर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के महत्वपूर्ण मामलों से, सोईआरसी की पदेन सदस्य के रूप में जुड़ी रही थीं। अपनी व्यावसायिक कौशल की वजह से, वे विद्युत क्षेत्र से संबद्ध महत्वपूर्ण समितियों/समूहों की अध्यक्ष/सदस्य रही हैं।

1.3 आयोग का कार्यालय

आयोग 1 दिसंबर, 2018 से गुड़गांव, हरियाणा में उद्योग विहार में पाथकाइंड लैब बिल्डिंग में स्थित किराए के परिसर के माध्यम से प्रचालन करता है। आयोग का कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से जुड़ा हुआ है, जो कोई उपयोगी संदभ जानकारी हासिल करने के लिए उपयोगी है। आयोग की अपनी वेबसाइट (www.jercuts.gov.in) है, जिसका इसके सचिवालय द्वारा नियमित रूप से रखरखाव और अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट का प्रयोग याचिकाओं, प्रारूप और अंतिम चरण वाले आयोग के विनियमों और आदेशों, याचिकाओं पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने, प्रारूप वनियिमों, सुनवाई/जनता सुनवाई अनुसूची, समाचार, अद्यतन स्थिति इत्यादि को अपलोड करने के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और लोकपाल पर जानकारी भी प्रदान करता है।

जेईआरसी, गुरुग्राम के कोर्ट रूम में सुनवाई

1.4 संगठनात्मक संरचना

स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारी संख्या के आधार पर संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार से है:

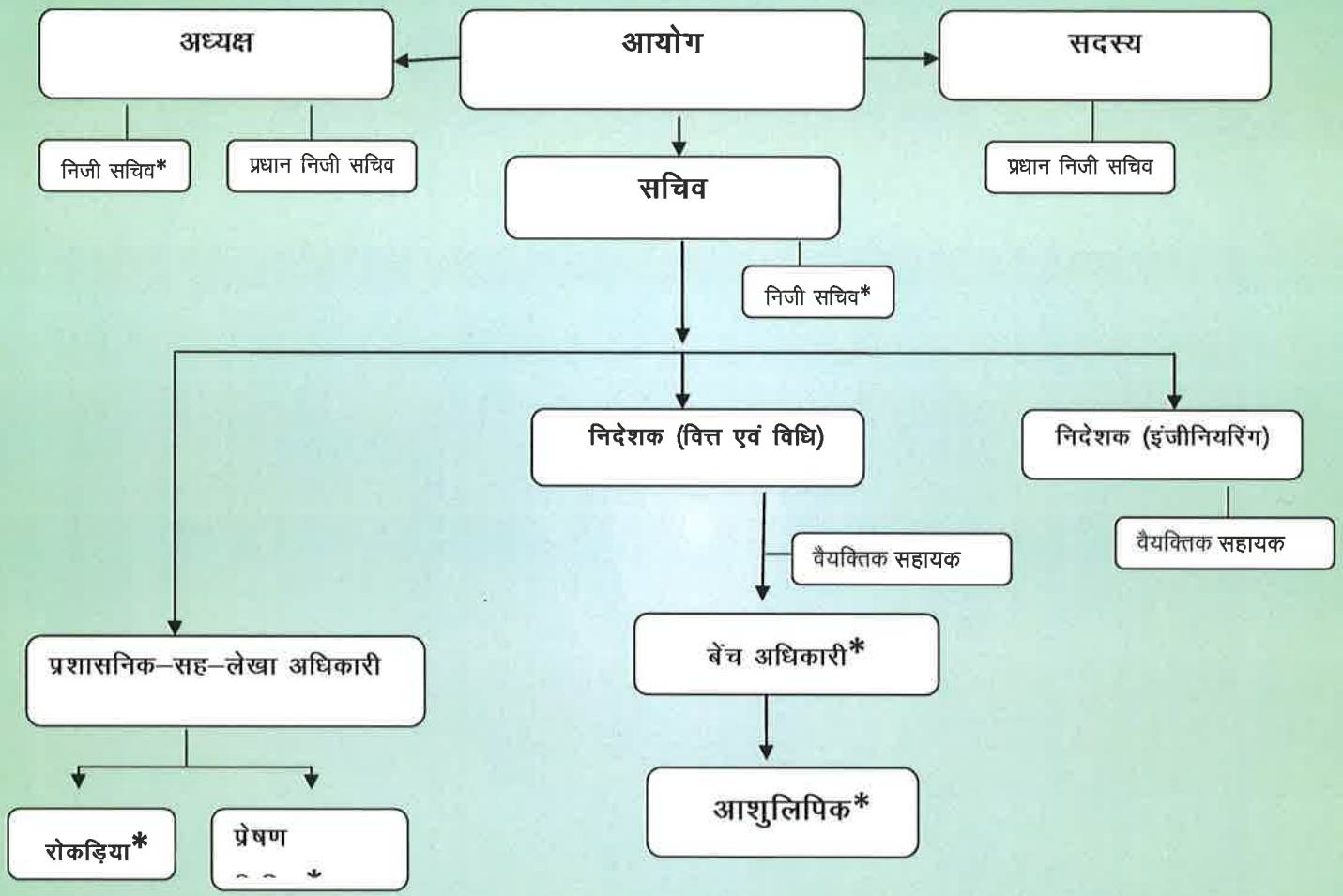

* रिक्त

2. विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग की भूमिका

2.1 अधिनियम की प्रस्तावना

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और प्रयोग से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ बनाना तथा सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करते हुए विद्युत टैरिफों को युक्तिसंगत बनाकर सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के लिए अनुकूल उपाय करना है।

2.2 आयोग को अधिदेशित कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, सस्ती दरों पर विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम और आर्थिक रूप से व्यावहारिक विद्युत प्रणाली का सृजन करने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों और उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को उचित व्यवहार प्रदान करने के अपने दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और भागीदारी के सिद्धांतों से प्रेरित है। उपरोक्त की प्राप्ति के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है:

क) यथास्थिति, राज्य के अंदर थोकबिक्री, बल्क या खुदरा में विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण, चक्रण के लिए टैरिफ निर्धारित करना;

बशर्ते कि जहां उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को धारा 42 के अंतर्गत ओपन एक्सेस प्रदान किया गया हो, तो राज्य आयोग उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल चक्रण प्रभार और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा;

ख) वितरण लाइसेंसधारकों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य भी शामिल है, जिस पर राज्य के भीतर विद्युत के वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादक कंपनियों अथवा लाइसेंसधारकों अथवा विद्युत की खरीद के लिए करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से बिजली अधिप्राप्त की जाएगी;

ग) विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण और चक्रण को सहायता प्रदान करना;

घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर, उनके प्रचालनों के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारकों, वितरण लाइसेंसधारकों और विद्युत व्यावसायियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना;

ङ) ग्रिड के साथ संयोजनता तथा किसी व्यक्ति को बिजली के विक्रय के लिए उपयुक्त उपायों का प्रावधान करके नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही, ऐसे स्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत निर्धारित करना;

च) लाइसेंसधारकों और उत्पादक कंपनियों के बीच विवादों का निर्णय करना तथा किसी अन्य विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करना;

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए शुल्क का उद्ग्रहण करना;

ज) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) से सुसंगत राज्य ग्रिड संहिता विनिर्दिष्ट करना;

झ) लाइसेंसधारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, अनवरतता और विश्वसनीयता के संबंध में सन्नियमों को निर्दिष्ट अथवा प्रवर्तित करना;

ञ) यदि आवश्यक समझा जाए, तो विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यवसाय में व्यवसाय संभावना को नियत करना;

ट) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन जो अधिनियम के अंतर्गत इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं। अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किसी एक मामले पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को परामर्श देगा:

i) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को प्रोत्साहित करना;

ii) विद्युत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना;

iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन और पुनर्संरचना; और

iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यवसाय से संबंधित मामले तथा सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य मामला;

धारा 86(3) के संबंध में, आयोग अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति द्वारा आयोग का मार्गदर्शन किया जाएगा।

13.02.2018 को चंडीगढ़ में जन सुनवाई के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष

3. वित्तीय वर्ष 2017–18 की विशेषताएं

3.1 विनियमों की अधिसूचना/संशोधन

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित/संशोधित किया है ताकि आयोग के कारोबार का पारदर्शी और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके तथा उनके अधिकार क्षेत्र में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत क्षेत्र में दक्षता को प्रोत्साहित किया जा सके।

(i) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और निबार्ध पहुंच) विनियम, 2017 को दिनांक 14.03.2018 को अधिसूचित किया गया।

(ii) आयोग द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) में तीसरी बार संशोधन किया गया, जिसे दिनांक 12.06.2017 को अधिसूचित किया गया।

3.2 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

आयोग ने टैरिफ आदेश जारी किए, जिसमें लेखा परीक्षित खातों के आधार पर पिछले वर्ष(वर्षों) के लिए ट्रू अप करना, प्राक्कलनों के आधार पर पिछले वष के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा करना, तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में सं"ाोधन तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए इसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों के लिए टैरिफ का निर्धारण करना शामिल है।

कंपनियों के सभी टैरिफ आदेश 31 मार्च, 2018 तक जारी किए गए थे; और उन्हें सभी विभागों द्वारा भली–भांति लागू किया गया है।

लक्षद्वीप में 01.03.2018 को टैरिफ के निर्धारण पर जन सुनवाई

3.3 जेईआरसी के क्षेत्राधिकार में बिजली कंपनियों के महत्वपूर्ण पैरामीटर :

वित्तीय वर्ष 2017-18								
क्र.सं.	विवरण	कंपनियां						
		चंडीगढ	गोवा	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पुदुच्चेरी	दादर एवं नागर हवेली	दमन एवं दीव	लक्षद्वीप
1	उपभोक्ताओं की संख्या	228768	609207	131127	475584	71361	62497	24106
2	संयोजन भार (कि.वा./के.वी.ए. में)	1534113	2404243	201043	1323657	1654928	1027983	88313
3	ऊर्जा बिक्री (मि.यू.)	1591.48	3494.71	265.32	2535.58	5594.49	2084.14	60.66
4.	संशोधित टैरिफ से प्राप्त राजस्व (करोड़ रु.)	817.65	1563.67	151.71	1268.5	2173.56	862.78	34.18
5.	खुली पहुंच प्रभारों/एफपीपीसीए प्रभारों से राजस्व* (करोड़ रुपए)	109.96*	शून्य	शून्य	11.57	14.61	28.90	शून्य
6.	आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) (रु./कि.वा.घ.)	5.08	5.28	18.47	5.00	4.47	4.21	19.91
7.	औसत टैरिफ (रु./कि.वा.घ.)	5.14	4.47	5.72	4.78	3.89	4.14	5.63
8.	कुल राजस्व अपेक्षा (करोड़ रु.)	808.85	1845.32	489.92	1362.03	2503.46	878.24	120.77
9.	वर्ष के लिए निवल (अंतर) /अधिशेष (करोड़ रु.)	118.76	(281.65)	(338.21)	93.53	315.29	6.95#	(86.59)
10.	टीएंडडी हानि (%)	12.75%	11.00%	15.34%	11.25%	4.70%	8.40%	12.75%
11.	क्षेत्रीय पारेषण हानि	4.21%	4.17%	अनुपलब्ध	2.15%	3.69%	3.69%	अनुपलब्ध
12.	एसीओज के प्रतिशत के तौर पर औसत टैरिफ (%)	101.18%	84.66%	30.99%	95.53%	87.02%	98.34%	28.28%
13.	एसीओज के % के तौर पर घरेलू	79.13%	65.32%	19.54%	51.3%	43.85%	40.38%	24.25%
14.	एसीओज के % के तौर पर वाणिज्यिक	120.67%	117.67%	40.82%	127.2%	72.04%	68.40%	42.55%
15.	एसीओज के % के तौर पर औद्योगिक	118.11%	112.53%	32.97%	123.2%	83.22%	91.69%	60.36%
16.	एसीओज के % के तौर पर कृषि	57.08%	38.48%	8.66%	7%	16.33%	15.44%	लागू नहीं
17.	कुल राजस्व के % के तौर पर घरेलू राजस्व	36.13%	17.37%	33.48%	14.8%	1.09%	2.26%	67.47%
18.	कुल राजस्व के % के तौर पर वाणिज्यिक राजस्व	36.71%	13.25%	32.48%	11.7%	0.48%	1.96%	29.90%
19.	कुल राजस्व के % के तौर पर औद्योगिक राजस्व	19.16%	66.04%	6.96%	70.7%	98.21%	94.97%	0.85%
20.	कुल राजस्व के % के तौर पर कृषि राजस्व	0.06%	0.33%	0.09%	0.2%	0.02%	0.04%	अनुपलब्ध

कास सब्सिडी उप–प्रभार की तुलना में 6.49 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है।

3.4 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अनुसार वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षा और अनुसंधान के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए एसएसी की बैठकें नियमित तौर पर आयोजित करता है:

i) नीतिगत प्रमुख प्रश्न;
ii) लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;
iii) लाइसेंसधारकों द्वारा उनके लाइसेंसों की शर्तों और अपेक्षाओं का अनुपालन;
iv) उपभोक्ता हितों का संरक्षण;
v) बिजली की आपूर्ति और कंपनियों द्वारा निष्पादन के समग्र मानक।

वर्ष के दौरान आयोग ने एसएसी की दो बैठकें (12वीं और 13वीं बैठक) क्रमशः 07 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में और 01 फरवरी, 2018 को गोवा में आयोजित कीं।

3.5 वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान याचिकाओं की स्थिति

01.04.2017 को याचिकाएँ	3
वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त याचिकाएँ	31
वित्त वर्ष 2017–18 में कुल याचिकाएँ	34
वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निपटाई गई याचिकाएं	34

1. 01.04.2017 को कुल याचिकाआ में आयोग द्वारा सतत् आधार पर स्वतः संज्ञान लिए गए दो मामले शामिल हैं (i) कंपनी की मीटरिंग और बिलिंग स्थिति के क्षेत्र में, जो लाइसेंसधारियों तथा उपभोक्ताओं/हितधारकों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंसिंग और बिलिंग दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन प्राप्त करने तक; और (ii) आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए लाइसेंसधारियों और ओपन एक्सेस उपयोगकर्ताओं द्वारा नवीकरणीय खरीद बाध्यता के अनुपालन की निगरानी द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक अन्य मुद्दे के संबंध में यह एक सतत् याचिका है।

11.01.2018 को दीव में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान का एक चित्र

3.6 विवादों और मतभेदों पर अधिनिर्णय

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशिष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42(5) में आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) में लोकपाल के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसे आयोग द्वारा नियुक्त या नामित किया जाना है। बिजली का कोई भी उपभोक्ता, जो उप–धारा (5) के तहत अपनी शिकायत का समाधान न होने से पीड़ित है, लोकपाल को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अभ्यावेदन कर सकता है।

• सीजीआरएफ की स्थापना

आयोग ने 31.07.2009 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2009 को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जिसमें क्रमशः 2013 और 2015 में दो बार संशोधन किया गया है।

गोवा और केन्द्र शासित प्रदेशा में वितरण लाइसेंसधारियों/विद्युत विभागों ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए इस संबंध में आयोग द्वारा अधिसूचित संबंधों के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) की स्थापना की है। सभी क्षेत्रों में वर्तमान में कार्यात्मक सोजीआरएफ का विवरण **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन धारा 126 एवं 127 (बिजली का अनाधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी और उसके अधीन अपराध एवं दंड), और धारा 161 (दुर्घटना आदि की सूचना) को छोड़कर वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की जा रही बिजली के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों/समस्याओं पर विचार करने एवं उसके निपटाने का अधिकार है।

सभी सीजीआरएफ में उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली शिकायतों के लिए मॉडल प्रक्रियाए उपलब्ध कराई गई हैं और यह जेईआरसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वह उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निपटान के लिए उसके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में बताएं और इसे विभिन्न बिल संग्रह केन्द्रों और लाइसेंसधारी क उप–क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर इसका प्रचार करें।

यह भी सलाह दी गई है कि शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाओं की प्रतियां सीजीआरएफ के कार्यालयों में रखो जाए जिससे बिजली उपभोक्ता अपनी जानकारी एवं ज्ञान के लिए बिना किसी परेशानी के इसे प्राप्त कर सकें।

- वर्ष के दौरान सीजीआरएफ द्वारा निपटाई गई शिकायतें

सोजीआरएफ का क्षेत्राधिकार / सोजीआरएफ द्वारा निपटाई गई शिकायत	गोवा	चंडीगढ	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	लक्षद्वीप	दमन व दीव	पुड्डुचेरी	दादर एव नागर हवेल
पिछले वर्ष की समाप्ति पर बकाया शिकायतों की सख्या	11	14	01	0	0	8	02
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सख्या	47	225	20	19	2	53	24
वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की सख्या	52	213	21	18	2	51	21
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सख्या	06	26	01	1	0	10	05
दा माह से अधिक अवधि से लंबित शिकायतों की सख्या	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की सख्या	30	134	179	30	2	240	17

विद्युत लोकपाल

आयोग न 31.07.2009 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) विनियम, 2009 को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जिसे क्रमशः 2013, 2015 और 2017 में तीन बार संशोधित किया गया है।

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह चंडोगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीव, लक्षद्वीप और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में विद्युत लोकपाल नियुक्त किया है। कोई भी उपभोक्ता जो सीजीआरएफ द्वारा उसकी शिकायत या समस्या के न निपटाए जाने से असंतुष्ट है तो उसके पास अपनी शिकायत/समस्या या विवाद को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प है।

लोकपाल सबसे पहले शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच समझौता या मध्यस्था के माध्यम से आपकी सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसा न होने पर संबंधित पार्टियों अर्थात उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग के तर्कों के आधार पर विवाद के मामले पर निर्णय लेता है।

लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत जमा करने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई है और इसे आयोग की वेबसाइट पर "उपभोक्ता सेवाएं" शीर्षक के तहत प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 2017–18 के दौरान, गोवा राज्य एवं चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई 10 अभ्यावेदनों/अपीलों में से सभी 10 अपीलें उपभोक्ताओं के पक्ष में निपटाई गई। इन शिकायतों की संख्या एवं विषय–वस्तु **अनुलग्नक–2** में दी गई है।

4. आयोग के वार्षिक लेखे

पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित रु. 143.54 लाख की बचत के अग्रेनीत बकाया के अलावा, सहायता–अनुदान के रूप मे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन में रु. 575 लाख का बजट आबंटित किया गया था।

4.1 वर्ष 2017–18 के लिए रिकार्ड के अनुसार आय एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	आय (रु. लाख)	व्यय (रु. लाख)
	हाथ में बकाया अग्रेनीत राशि	143.54	
क	आय:		
	अनुदानों / ऋणों / राजसहायता द्वारा भारत सरकार से (सहायता अनुदान) निम्नलिखित संस्वीकृति संख्या और तारीख को प्राप्त सहायता अनुदान **i. 47 / 6 / 2010–आर एंड आर 26.05.2017** **ii. 47 / 6 / 2010– आर एंड आर 05.02.2018** **कुल** **एफओआर से प्राप्त अंशदान / शुल्क** रायल्टी, प्रकाशन आदि द्वारा बचत खाते पर ब्याज **वितरण लाइसेंसधारी से लोकपाल व्यय की प्रतिपूति**	250.00 325.00 575.00 - - 11.73	
ख	**व्यय:**		
1.	वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)		49.45
2.	वेतन (अधिकारी एवं प्रतिष्ठान)		117.50
3.	व्यावसायिकों एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (क) व्यावसायिक (ख) अन्य सेवाए (i) कार्मिकों की आउटसोसिंग 57.77 (ii) हाउसकीपिंग कार्य के लिए आउटसोर्सिंग 3.46 (iii) सुरक्षा कार्मिकों की आउटसोर्सिंग 3.23		120.00 64.46
4.	घरेलू यात्रा	—	33.92
5.	विदेशी यात्रा	—	-
6.	सीपीएफ*	—	10.80

7.	विद्युत एवं ऊर्जा	—	--
8.	किराया दर एवं कर	—	24.28
9.	वाहन (वाहन का किराया)	—	19.74
10.	डाक, टेलीफोन एवं संचार शुल्क	—	3.80
11.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	—	2.26
12.	एफओआर/एफओआईआर आदि को शुल्क	—	14.14
13.	सेमिनार एवं बैठक		2.59
14.	कानूनी शुल्क	—	2.90
15.	विज्ञापन एवं प्रकाशन	—	13.28
16.	अन्यः क) कार्यालय व्यय 23.70 ख) बैंक प्रभार 0.16 ग) विविध -----	—	23.86
17.	मशीनरी एवं उपकरण	—	3.48
18.	फर्नीचर एवं फिक्चर	—	--
19.	लोकपाल पर व्यय	—	45.10
	कुल	730.27	**551.56**
	बैंक शेष	—	**178.71**
	कुल	**730.27**	**730.27**

* *सीपीएफ अध्यक्ष एवं सदस्य के संबंध में सरकारी अंशदान है।*

4.1 शुल्कों एवं प्रभारों का विवरण

वार्षिक लाइसेंस शुल्क

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	राशि (रु. में)
1.	02.05.2017	विद्युत विभाग, पुद्दुचेरी	1,60,40,000
2.	27.06.2017	विद्युत विभाग, चंडीगढ़	97,71,000
3.	06.06.2017	विद्युत विभाग, गोवा	1,72,00,000
4.	28.11.2017	डीएनएच पॉवर डिस्टीब्यू"ान कॉर्पोरे"ान लिमिटेड (2016–17)	1,83,80,000
5.	20.12.2017	विद्युत विभाग, पुद्दुचेरी (2018–19)	1,43,96,200
6.	22.03.2018	विद्युत विभाग, गोवा (2018–19)	1,50,75,000
		कुल	**9,08,62,200**

- **वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए याचिका शुल्क**

याचिका/विविध शुल्क के रूप में कुल रु. 2,86,70,219 (दो करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार दो सौ उन्नीस रुपए) प्राप्त किए गए जिसका विवरण **अनुलग्नक–3** में दिया गया है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना का विवरण

श्रीमती रिंकु गौतम, निदेशक (वित्त एवं विधि) को आयोग के जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए आवेदन और निपटाए गए आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:

प्राप्त आवेदन	07
निपटाए गए आवेदन	07
आवेदन जिसमें सूचना अस्वीकार की गई	शून्य

6. वर्ष के लिए कार्य–योजना

6.1 जेईआरसी विनियम

विद्युत क्षेत्र में ऐसे परिवर्तनों के कारण अधिनियम/नीतियों और/या प्रथाओं/प्रक्रिया में नवीनतम विकास/परिवर्तनों को देखते हुए विनियमों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में, निम्नलिखित विनियमों को जारी/संशोधन करने की परिकल्पना की गई है:–

1. आयोग ने 30.06.2014 को प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियम जारी किए थे, जो 3 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 तक के लिए लागू थे। चूंकि पथम नियंत्रण अवधि समाप्त हो रही है, अतः आयोग द्वारा अगली नियंत्रण अवधि के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों हेतु बहुवर्षीय टैरिफ विनियम को वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के रूप में तैयार, जारी और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

2. आयोग ने 20.05.2010 को जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 जारी किए थे, जिन्हें बाद में समय–समय पर संशोधित भी किया गया था। बिजली क्षेत्र के परिवश में परिवर्तन और बिजली क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं/अवधारणाओं को देखते हुए, विनियमों और उनमें संशोधन को समेकित किए जाने और मौजूदा विनियमों को निरस्त करके घटनाक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने तथा नए जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियमा को बनाने के लिए नए प्रावधान प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3. आयोग ने 15.05.2015 को सौर ऊर्जा – ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप और मीटरिंग विनियम जारी किए हैं। ये विनियम 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू थे और तदनुसार उनका कार्यकाल 14.05.2018 को समाप्त हो रहा है। तदनुसार, आयोग सौर के अलावा सभी नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को कवर करने वाले व्यापक विनियमों को लागू करना चाहता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में नवीकरणीय उत्पादन के विकास को गति प्रदान करेगा।

6.2 बहुवर्षीय व्यवसाय योजना आदेश को स्वीकृति

आयोग वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक सात वितरण लाइसेंसियों और एक पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अपने व्यवसाय योजना आदेशों को जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय योजना याचिकाओं की जांच करेगा।

6.3 वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं और वित्त वर्ष 2019–20 के लिए खुदरा टैरिफ का निर्धारण

आयोग पिछले वित्त वर्षों के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और ट्रू अप की जांच करेगा और बहुवर्षीय टैरिफ एआरआर और बहुवर्षीय टैरिफ ऑर्डर जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सात वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए दायर टैरिफ का निर्धारण करेगा।

6.4 पारेशण टैरिफ आदेश जारी करना

बिजली विभाग–दादरा और नगर हवेली के लिए एमवाईटी पारेषण टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 के लिए जारी किया जाएगा।

6.5 उत्पादन टैरिफ आदेश जारी करना

पुडुचेरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए एमवाईटी उत्पादन टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक जारी किए जाएंगे।

6.6 राज्य सलाहकार समिति बैठक

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन, 2009 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सलाहकार समिति की नियमित बैठकों की योजना बनाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में समिति की दो बैठकें आयोजित की जानी हैं।

अनुलग्नक–1

सभी संघ राज्य क्षेत्र में सीजीआरएफ का विवरण

क्र.सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	सदस्य का नाम	कार्यालय पता	सम्पर्क नं.	ई–मेल
1	गोवा	1. श्री डी.जी. देशपाण्ड 2. रिक्त 3. श्रीमती सान्द्रा वेज ई कोरिया	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	विद्युत भवन, चौथा तल, केटीसी स्टेंड के नज़दीक, मुडवेल, वोस्को डिगामा, गोवा–403802	8007275779 0832-2501836 09422063637	Adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान एव निकोबार द्वीपसमूह	1. श्री के.जी. रविन्द्रन 2. रिक्त 3. श्री बासुदेव दास	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	सं. ईएल/03 एवं 04, हॉर्टिकल्चर रोड, हड्डो (पीओ) पोर्ट ब्लेयर-744102	03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	चंडीगढ	1. श्री आर.के. साही 2. श्री जसविन्दर सिंह सिधु 3. श्री आदर्श जैन	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य सदस्य	पुरानी बीएंडआर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स टिब्यूनल के कार्यालय के निकट, सेक्टर 19–बी, चंडीगढ़	9646118108 (0172-2542012) 09872318618	chairpersoncgrf@gmail.com
4	दमन एवं दीव	1. श्री ए.पी. वागमारे 2. श्री टी.डी. दावडा 3. श्री एम.एन. कुलकणी	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य	पॉवर हाउस बिल्डिंग, सी फेसिंग रोड, नानी, दमन–395210	09833849653 0260-2992330 (O) 09978228900 09969143683	anil.india28@gmail.com tarundavda@rediffmail.com
5	दादर एव नागर हवेली	1. श्री बी.एन. मेहता 2. श्री सुनील इज़ारी 3. रिक्त	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत विभाग, दादर एवं नागर हवेली, 66केवी सब–स्टेशन, अमली रोड, सिलवासा–396230	09825400184 09824106776	Chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	लक्षद्वीप	1. श्री के.के. कुन्हीकृष्णन 2. श्रीमती सुनिधि ईस्माइल केआरबी 3. रिक्त	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य सदस्य	विद्युत सीजीआरएफ, पॉवर हाउस के निकट, कावारत्ती, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र - 682555	9961848808	Lk-ktelect@nic.in
7	पुदुच्चेरी	1. श्री के. रामासुब्रामणियन 2. श्री ए.एस. जितेन्द्र राव 3. श्री आई. एलविन ईमानुएल जयप्रकाश	अध्यक्ष सदस्य नामांकित सदस्य सदस्य	नं. 6, 17वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुच्चेरी–605 005	9961848808 0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत लोकपाल द्वारा निपटाए गए अभ्यावेदन/अपील

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिनिधित्व संख्या	विषय मामला	टिप्पणी
गोवा	03	1. बिल विवाद 2. बिल विवाद 3. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 2. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 3. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
चंडीगढ	03	1. बिल विवाद 2. बिल विवाद 3. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 2. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 3. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
दादर एवं नागर हवेली	01	1. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
पुदुच्चेरी	02	1. बिल विवाद 2. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी 2. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	01	1. बिल विवाद	1. दाखिल और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला/आदेश जारी

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त याचिका शुल्क

क्र.सं.	प्राप्ति की तिथि	याचिकाकर्ता / विद्युत विभाग (ईडी)	याचिका की विशय–वस्तु	राशि (रुपए में)
1.	01.04.2017	मैसर्स एसपीसीए	दिनांक 13.01.2017 के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करने के लिए शुल्क	1,010/–
2.	24.04.2017	इडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	हैवलॉक द्वीप में मौजूदा बिजली घर की ग्रिड को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए 11 केवी जनरेशन वोल्टेज सहित डीजी सेट को किराए पर लेकर बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी हेतु शुल्क	2,00,000/–
3.	24.04.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	500 कि.वॉट इलेक्ट्रिक पावर देने के लिए 2X750 केवीए डीजी सेट को किराए पर लेकर बिजली की खरीद के लिए करार के अनुमोदन हेतु शुल्क	2,00,000/–
4.	17.05.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	याचिका दायर करने में विलंब की माफी हेतु शुल्क	20,000/–
5.	29.05.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	विविध याचिका दायर करने के लिए शुल्क	5,000/–
6.	29.06.2017	ईडी–चंडीगढ़	दिनांक 04.05.17 के टैरिफ ऑर्डर के संबंध में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए शुल्क	1,71,593/–
7.	29.06.2017	डीएनएचपीडीसीएल	दिनांक 09.06.17 के टैरिफ आदेश के संबंध में समीक्षा याचिका दायर करने के लिए शुल्क	4,32,596/–
8.	04.07.2017	ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसिएशन	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	25,000/–
9.	13.07.2017 10.08.2017	मैसर्स वेलनोन पॉलीयस्टर लिमिटेड	दिनांक 29.05.17 के जेईआरसी टैरिफ आदेश में अधिसूचित क्रॉस सब्सिडी अधिभार निर्धारण की समीक्षा के लिए शुल्क	20,000/– 30,000/–
10.	10.08.2017	ईडी–चंडीगढ़	दिनांक 04.05.17 के टैरिफ आदेश के संबंध में	90,143/–

			समीक्षा याचिका दायर करने के लिए शुल्क	
11.	08.08.2017	मैसर्स एपीसीपीआई	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	25,000/–
12.	05.09.2017	डीएनएचपीडीसीएल	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड के साथ पीपीए के लिए शुल्क	20,000/–
13.	18.09.2017	डीएनएचपीडीसीएल	डीएनएचपीडीसीएल के लिए वित्त वर्ष 2016–17 के ट्रू–अप की मंजूरी के लिए शुल्क	2,00,000/–
14.	11.09.2017	ओपन एक्सेस यूजर्स एसोसिए"ान	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	35,000/–
15.	12.09.2017	डीएनएच का मैसर्स एपीसीपीआई	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	30,000/–
16.	11.10.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1X750 केवीए डीजी सेट की मंजूरी के लिए याचिका दायर करने हेतु शुल्क	2,00,000/–
17.	06.11.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	ईडी–एएंडएन की 33 केवी ग्रिड को (i) **5 मेगावाट** (ii) **10 मेगावाट** और (iii) **15 मेगावाट** बिजली प्रदान करने के लिए एक डीजी पावर प्लांट को किराए पर लेकर बिजली की खरीद के लिए समझौते की मंजूरी हेतु याचिका (2,00,000/– प्रत्येक)।	6,00,000/–
18.	24.11.2017	पुद्दुचेरी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए 32.5 मेगावाट गैस पावर स्टेशन के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए शुल्क	15,00,000/–
19.	06.12.2017	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 18–19 के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए समय के विस्तार के लिए शुल्क	20,000/–
20.	30.11.2017	ईडी–पुदुच्चेरी	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने, वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता की स्वीकृति तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण के लिए शुल्क	36,50,000/–

21.	08.12.2017	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2013–14 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने और वार्षिक राजस्व आवश्यकता को मंजूरी देने और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए शुल्क	36,44,930/–
22.	08.12.2017	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने, वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता की स्वीकृति और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण के लिए शुल्क	61,76,867/–
23.	07.12.2017 15.12.2017	सुश्री श्रीसुरास इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	धारा 63 के साथ पठित धारा 83 के अंतर्गत याचिका दायर करने के लिए शुल्क तथा निर्देशों के लिए ईए, 2003 के अन्य प्रावधान	1,000/– 4,000/–
24.	19.12.2017	डीएनएचपीडीसीएल	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क	10,00,000/–
25.	19.12.2017	ईडी–डीएनएच ट्रांसमिशन	वित्त वर्ष 2014–15, वित्त वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने और वार्षिक राजस्व आवश्यकता को मंजूरी देने तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण करने के लिए शुल्क	20,00,000/–
26.	22.12.2017	ईडी–दमन एवं दीव	वित्त वर्ष 2016–17, वित्त वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने, वित्त वर्ष 2017–18 के वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता की स्वीकृति और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण के लिए शुल्क	23,78,500/–
27.	13.12.2017	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क	10,00,000/–
28.	02.01.2018	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं सीआरईएसटी	एक विशेष मामले के रूप में अनुमति देने की मांग के लिए याचिका शुल्क, जिसमें वाटर वर्क्स, चंडीगढ़ में सोलर पावर का सृजन हुआ	10,000/–
29.	15.01.2018	ईडी–चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप याचिका दायर करने, वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वार्षिक राजस्व आवश्यकता की स्वीकृति और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ का निर्धारण के लिए शुल्क	27,14,580/–

30.	17.01.2018	सूर्यचक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	5 वर्ष की आगामी अवधि के लिए दिनांक 20.11.17 के पीपीए को बढ़ाने के लिए ईडी–एएंडएन को निर्देशित करने के लिए याचिका दायर करने के लिए शुल्क	5,000/–
31.	09.01.2018	ईडी–गोवा	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क	10,00,000/–
32.	11.01.2018	ईडी–लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ याचिका दायर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क	10,00,000/–
33.	15.03.2018	मैसर्स टैगोर थियेटर सोसायटी, चंडीगढ़	याचिका दायर करने के लिए शुल्क	5,000/–
34.	22.03.2018	सूर्यचक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	धारा 83 और ईए, 2003 के अन्य प्रावधानों के तहत याचिका	5,000/–
35.	16.03.2018	ईडी–अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	एनटीपीसी बनाम ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ पीपीए दाखिल करने के लिए शुल्क	2,00,000/–
36.	28.03.2018	डीएनएच का मैसर्स एपीसीपीआई	वित्त वर्ष 18–19 के लिए डीएनएच के टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर करने हेतु शुल्क	50,000/–
			कुल	**2,86,70,219/–**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA & UNION TERRITORIES)

10th ANNUAL REPORT

For the Financial Year

2017-18

(Under Section 105 of the Electricity Act, 2003)

Joint Electricity Regulatory Commission
(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Pathkind Lab Building,
Sector-18, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy-jerc@nic.in

CONTENTS

Sl. No.	Contents	Page Nos.
	From the Desk of the Chairman	3
1.	**ORGANIZATIONAL SETUP OF THE COMMISSION**	
1.1	Introduction	4
1.2	Profile of the Members of the Commission	5-6
1.3	Office of the Commission	7
1.4	Organization Chart	8
2.	**ROLE OF THE COMMISSION UNDER THE ELECTRICITY ACT, 2003**	
2.1	The Preamble to the Act	9
2.2	The Functions mandated to the Commission	9-10
3.	**HIGHLIGHTS OF THE FINANCIAL YEAR 2017-18**	
3.1	Framing/Amendment of new Regulations	11
3.2	ARR and Tariff determination for the FY 2018-19	12
3.3	Important parameters of the electricity utilities under jurisdiction of JERC	13
3.4	State Advisory Committee Meetings	14
3.5	Status of Petitions	15
3.6	Adjudication of Disputes and Differences	16-17
4.	**ANNUAL ACCOUNTS**	
4.1	Income and Expenditure statement	18-19
4.2	Fees and Charges	20
5.	**INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005**	20
6.	**WORK PLAN FOR YEAR AHEAD**	21-22
7.	**ANNEXURES**	23-28

FROM THE DESK OF THE CHAIRMAN

It gives me great pleasure to present the tenth Annual Report of the Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) for the financial year 2017-18. This Annual Report is prepared in compliance to the provisions of Section 105 of the Electricity Act, 2003, and contains a summary of the activities carried out by the Commission alongwith glimpse of Annual accounts for the financial year 2017-18; and also, the activities planned for the ensuing financial year 2018-19.

I am delighted to inform that for the first time, the Commission had issued all the nine Tariff Orders, which includes 7 Distribution Retail Tariff Orders for distribution utilities viz Goa, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Chandigarh, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep, one Generation Tariff Order for Puducherry Power Corporation Limited and one Transmission Tariff Order for Transmission utility of Dadra and Nagar Haveli within stipulated date as per Act i.e. before 31st March, 2018. The exercise of issue of tariff Orders included fixation of retail tariff for the FY 2018-19, true up of past year/(s) based on audited accounts and the Annual Performance Review based on estimates of the previous year.

During the year, the Commission had notified JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 on 14.03.2018 after repealing its existing Regulations on Open Access. The Commission also plans to issue/notify new JERC Supply Code Regulations, new JERC Multi Year Tariff Regulations for the second control period for FY 2019-20 to FY 2021-22 and new Solar Power-Grid Connected Regulations during the upcoming financial year.

The Commission has always been proactive in facilitating growth of renewable energy sector vis a vis National Mission of the Government duly considering the territories perspective. To that extent the Commission has put in place, the Solar Power-Grid Connected and Metering Regulations; and has also issued the Solar Tariff for the FY 2017-18. The Commission also has a system of monitoring the performance of the utilities in meeting their Renewable Purchase Obligations against the targets set in the RPO Regulations on suo moto basis. Further, the Commission has also been conducting Suo-moto hearing in the matter of Metering and Billing status of utilities to ensure 100% consumers metering.

The Commission has also taken all necessary steps to redress the grievance of electricity consumers through appointment of Independent Ombudsman and the Consumer Grievance Redressal Forums in a timely manner.

To create a healthy & conducive atmosphere in the electricity sector, the Commission follows the consultative process, frequent interactions on various issues of importance with the representatives of consumer organizations, industry associations, power sector experts and other stakeholders through the hearings/Public Hearings and meeting with the utilities/State Advisory Committee.

I would also like to take this opportunity to place on record, my appreciation to the Senior officials/dignitaries of the Ministry of Power and the Territories under jurisdiction of JERC for their valuable support and co-operation.

M.K. Goel
Chairperson

ORGANIZATIONAL SET-UP OF THE COMMISSION

1.1 Introduction

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two members (including the Chairperson) Joint Electricity Regulatory Commission for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During this year also the Commission has endeavoured to set up a fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories under its jurisdiction. The Tenth Annual Report of the Commission presents the activities of the Commission during the Financial Year 2017-18.

The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

1.2 Profile of the Members of the Commission

Shri M. K. Goel
Chairperson

Shri M.K.Goel took over as Chairperson, Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and UTs on 17th February 2017.

Shri Goel, an Electrical Engineer from Kanpur University has over 37 years of varied Power Sector experience. Before joining JERC, he has been heading Power Finance Corporation, a navaratna PSU and the largest NBFC in the country as the Chairman and Managing Director. He has close to 28 years of Power Financing experience in PFC, and 9 years of Power Generation experience in NHPC before joining PFC in 1988. He has more than 9 years of Board level experience in PFC.

Under his leadership as CMD, PFC, despite challenging times in the power sector, PFC has shown continued business growth with enhanced financial and operational performance. As a result, PFC ranked the largest NBFC in the country based on the net worth (all reserves) as on 31.03.2016 and the 5thhighest profit making PSU as per the DPE survey, 2016. He also ensured achievement of all the MoU targets set by the Government of India for FY 2013-14 and FY 2014-15, entitling PFC to the highest MoU score of 1.00 consecutively for 2 years during his tenure as CMD.

He also steered various power sector reform programmes by spearheading GoI initiatives, which included Integrated Power Development Scheme (IPDS), UDAY, 24X7 Power For All etc. He was also instrumental in the implementation of other GoI initiatives like UMPPs, ITPs, review of UMPP bidding documents etc.

He has immensely contributed to the development of the power sector and the financial industry as a key member in various Committees related to policy and regulatory areas such as (1) 'Central Advisory Committee' (CAC) to advise CERC on policy issues, (2) 'Fund requirement' for National Electricity Plan constituted by CEA, (3) 'High Level Committee on Financing Infrastructure' to take up financing issues with RBI for regulatory changes etc.

Smt. Neerja Mathur
Member

Smt. Neerja Mathur assumed the charge of Member, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) w.e.f. 26.08.2015. Earlier, Smt. Neerja Mathur held office as the Chairperson of Central Electricity Authority (CEA) from 01.11.2013 to 31.12.2014. An officer of the CPES cadre, Smt. Neerja Mathur had joined the CEA in July 1979 as Assistant Director through UPSC and has acquired versatile experience of about 34 years in the development of power sector over the period of her wide and varied work experience in various capacities in the CEA. Smt. Neerja Mathur is a technical professional from the stream of Electronics & Communication Engineering with a Graduate Degree from IIT, Roorkee and M. Tech. Degree from IIT, Delhi.

With an initial stint in the area of power system protection and instrumentation and appraisal of transmission schemes, Smt. Neerja Mathur had worked extensively in the area of Planning, Load Despatch and Telecom facilities in the Power Sector. During her tenure as Director and Chief Engineer in the Integrated Resource Planning Division, Smt. Neerja Mathur was associated with both short term and long term Generation Planning & Load Forecasting. She has been proactively involved in framing the National Electricity Plan and Working Group Reports for the five year plan periods for the integrated resource planning in the country. She was instrumental in the preparation of National Electricity Plan brought out in April 2007 covering 11th Plan in detail and perspective for 12th & 13th Plans. Smt. Mathur has also guided the formulation of the subsequent National Electricity Plan covering 12th five year Plan in detail and perspective for 13th & 14th Plans. As Chief Engineer of Operation Monitoring Division, she took up fuel monitoring of power stations in the country and to address the issues related to the availability of fuel.

Smt. Neeja Mathur took over as Member (Grid Operation & Distribution), CEA & Ex-officio Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 1st March 2013 with the responsibility of grid management, distribution system functionality and operational performance of generating units. In her tenure as the Chairperson, CEA since 1st November 2013, Smt. Neerja Mathur was involved in the overall planning and coordination of all the facets of the power sector of the country in its entirety. The thrust has been to facilitate the generation capacity addition and commensurate development of the transmission system with the strengthening of distribution network as well.

As a part of responsibilities attached to the post of Chairperson, CEA, Smt. Neerja Mathur was associated with all the important matters of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) as Ex-officio Member of CERC. By virtue of her professional expertise, she has held Chairmanship/Membership of the important Committees/Groups associated with the Power Sector.

1.3 OFFICE OF THE COMMISSION

The Commission operates through rented premises located at Pathkind Lab building in Udyog Vihar in Gurugram, Haryana w.e.f. 1st December,2018. The Commission office is connected through Local Area Network (LAN), which is very important for accessing any useful reference information. The Commission has its own website (www.jercuts.gov.in), which is regularly maintained and updated by its Secretariat. The website is used for uploading of Petitions, Regulations and Orders of the Commission at draft and final stages, inviting comments from the Public and the stakeholders on the Petitions, Draft Regulations, hearing/Public Hearing Schedule, News, updates etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman.

Hearing at Court Room of JERC, Gurugram

1.4 Organization Chart

The Organisation Chart based on the sanctioned and operating staff strength is as below:-

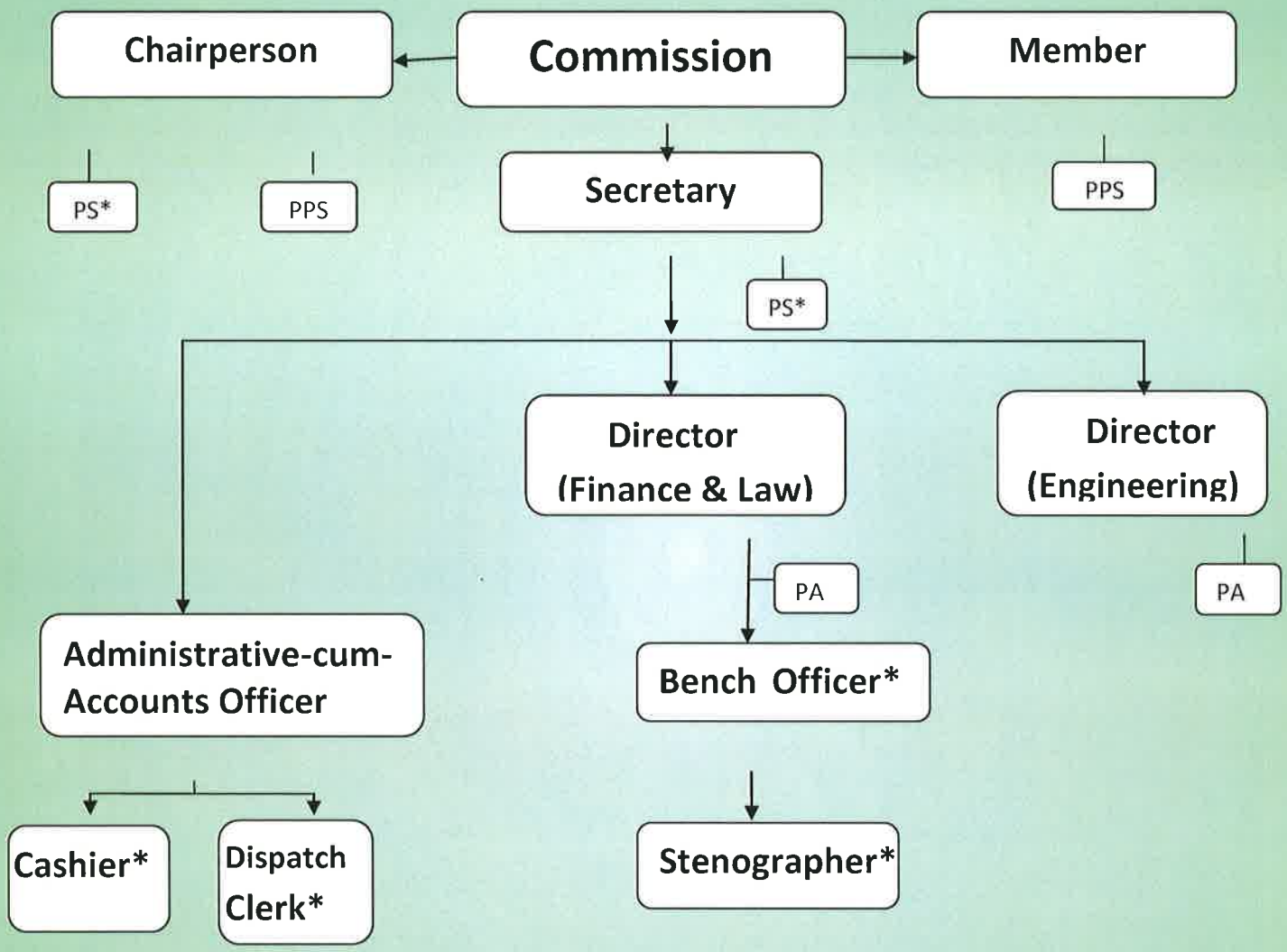

* Vacant

2. ROLE OF THE COMMISSION UNDER THE ELECTRICITY ACT, 2003

2.1 The Preamble to the Act

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to the development of electricity industry, promoting competition therein, protecting the interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff etc.

2.2 The Functions mandated to the Commission

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories, balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and participation in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003-

a) determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the State Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) regulate the electricity purchase and the procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;

c) facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) levy fee for the purposes specified under this Act;
h) specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity Regulatory Commission;
i) specify or enforce the standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;
j) fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;
k) discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely:-.

i) promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;
ii) promotion of investment in electricity industry;
iii) reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ UTs
iv) matters concerning generation, transmission , distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

Hon'ble Chairperson addresses electricity consumers during Public Hearing at Chandigarh on 13.02.2018

3. HIGHLIGHTS OF THE FINANCIAL YEAR 2017-18

3.1. Notification/Amendment in Regulations

The Commission has formulated and notified the following regulations/amendments in the Regulations during the FY 2017-18 in order to ensure transparent and smooth conduct of the business of the Commission and promote efficiency in the power sector in the State of Goa and Union Territories under its jurisdiction:

(i) Joint Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 were notified on 14.03.2018.

(ii) Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment and Functioning of Ombudsman) were amended for the third time by the Commission which were notified on 12.06.2017.

3.2 Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for the FY 2018-19

The Commission issued Tariff Orders comprising truing up for past year/(s) based on audited accounts, Annual Performance Review for previous year based on estimates and revision of Annual Revenue Requirement (ARR) and determination of tariff for the generation, transmission and distribution utilities under its jurisdiction for the FY 2018-19.

All the Tariff Orders of the Utilities were issued by 31st March,2018; and they have been well implemented by all the Departments.

Public Hearing on the determination of tariff on 01.03.2018 at Lakshadweep

3.3 Important parameters of the electricity utilities under the jurisdiction of JERC:

FY 2017-18								
S. No.	Particulars	UTILITIES						
		Chandigarh	Goa	Andaman & Nicobar Islands	Puducherry	Dadra and Nagar Haveli	Daman & Diu	Lakshadweep
1	No. of Consumers	228768	609207	131127	475584	71361	62497	24106
2	Connected Load (in kW/kVA)	1534113	2404243	201043	1323657	1654928	1027983	88313
3	Energy Sales (MUs)	1591.48	3494.71	265.32	2535.58	5594.49	2084.14	60.66
4.	Revenue Realised from revised tariff (Rs. Crs)	817.65	1563.67	151.71	1268.5	2173.56	862.78	34.18
5.	Revenue from Open Access Charges/FPPCA charges* (Rs. Cr.)	109.96*	Nil	Nil	11.57	14.61	28.90	Nil
6.	Average cost of supply (ACos) (Rs/kWh)	5.08	5.28	18.47	5.00	4.47	4.21	19.91
7.	Average Tariff (Rs/kwh)	5.14	4.47	5.72	4.78	3.89	4.14	5.63
8.	Aggregate Revenue Requirement (Rs. Crs)	808.85	1845.32	489.92	1362.03	2503.46	878.24	120.77
9.	Net (Gap)/ Surplus (Rs. cr) for the year	118.76	(281.65)	(338.21)	93.53	315.29	6.95#	(86.59)
10.	T&D Loss (%)	12.75%	11.00%	15.34%	11.25%	4.70%	8.40%	12.75%
11.	Regional Transmission losses	4.21%	4.17%	N.A.	2.15%	3.69%	3.69%	N.A.
12.	Average Tariff as percentage of ACoS (%)	101.18%	84.66%	30.99%	95.53%	87.02%	98.34%	28.28%
13.	Domestic as % ACoS	79.13%	65.32	19.54%	51.3%	43.85%	40.38%	24.25%
14.	Commercial as % of ACoS	120.67%	117.67	40.82%	127.2%	72.04%	68.40%	42.55%
15.	Industrial as % of ACoS	118.11%	112.53	32.97%	123.2%	83.22%	91.69%	60.36%
16.	Agriculture as % of ACoS	57.08%	38.48	8.66%	7%	16.33%	15.44%	N.A.
17.	Domestic Revenue as % of Total Revenue	36.13%	17.37	33.48%	14.8%	1.09%	2.26%	67.47%
18.	Commercial Revenue as % of Total Revenue	36.71%	13.25	32.48%	11.7%	0.48%	1.96%	29.90%
19.	Industrial Revenue as % of Total Revenue	19.16%	66.04	6.96%	70.7%	98.21%	94.97%	0.85%
20.	Agriculture Revenue as % of Total Revenue	0.06%	0.33	0.09%	0.2%	0.02%	0.04%	N.A.

An amount of Rs.6.49 crores has been refunded against Cross subsidy surcharge

3.4 State Advisory Committee Meetings

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, consumers, non government Organizations, education and research. The Commission regularly holds SAC meeting to deliberate on the following issues:

i. Major questions of policy;
ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
iv. Protection of consumer interests;
v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized two SAC committee meetings (being 12th & 13th meeting) during the year on 7th July 2017 at New Delhi and 01st February 2018 at Goa respectively.

3.5 Status of Petitions during the FY 2017-18

Petitions as on 1.04.2017	3
Petitions received during the FY 2017-18	31
Total Petitions in FY 2017-18	34
Petitions disposed of during the FY 2017-18	34

1. The Petition as on 01.04.2017 inlucdes two suo moto matters taken up by the Commission on continuous basis (i) in the area of the Metering and Billing Status of the Utilities, which assumes immense importance from the point of view of the licensees as well as consumers/stakeholders. This is a continuing Petition till full compliance of metering and billing directions is achieved by the Licensees; and (ii) in respect of another issue of National importance by monitoring the compliance of Renewable Purchase Obligations by the licensees and Open Access users for the territories under the jurisdiction of the Commission.

A picture during Public Hearing at Diu on 11.01.2018

3.6 Adjudication of Disputes and Differences

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Further, Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

- **Establishment of CGRFs**

The Commission has already notified the Joint Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2009 on 31.07.2009 which have also been amended twice in the year 2013 and 2015 respectively.

The Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs have established the Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) in accordance with the Relations notified by the Commission in this regard for redressal of grievances of electricity consumers. The details of currently functional CGRFs in all the territories are given in **Annexure-1.**

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by its distribution licensee/ Electricity Department, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centers and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites.

It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish to have the same for their information or knowledge can collect it without any hindrance.

- **Grievances settled by CGRFs during the year**

Jurisdiction of CGRF / Disposal of Grievances by CGRF	Goa	Chandigarh	A& N Islands	Lakshadweep	Daman & Diu	Puducherry	Dadra & Nagar Haveli
No. of grievances outstanding at the close of previous year	11	14	01	0	0	8	02
No. of grievances received during the year	47	225	20	19	2	53	24
No. of grievance disposed during the year	52	213	21	18	2	51	21
No. of grievances pending at the close of the year	06	26	01	1	0	10	05
No. of grievances pending which are older than two months	0	0	0	0	0	0	NIL
No. of sittings of CGRF in the year	30	134	179	30	2	240	17

Electricity Ombudsman

The Commission has already notified Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009" on 31.07.2009 which have been amended three times in 2013, 2015 and 2017 respectively.

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a statutory authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavors to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has also been laid down and displayed separately under head "Consumer Services" on the website of the Commission.

During the year 2017-18, out of 10 representations/appeals filed before the Electricity Ombudsman by the electricity consumers in the State of Goa and UTs of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands, all 10 appeals were settled in favour of the consumers. The number and subject matter of these representations are given in **Annexure-2.**

4. ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION

The Commission was allocated a budget of Rs. 575 lakhs in BE for the FY 2017-18 as grant-in-aid, besides a carry forward balance of Rs. 143.54 lakhs pertaining to the previous FY 2016-17.

4.1 Statement of Income and Expenditure for the Year 2017-18 as per the records

No.	Particulars	Income (Rs. Lakhs)	Expenditure (Rs. Lakhs)
	Balance in hand B/F	143.54	
A	Income:		
	By grants/Loans/Subsidies From Govt. of India (Grant-in-aid) **Grant-in-aid received vide sanction no. & dated** **i. 47/6/2010-R&R 26.05.2017** **ii. 47/6/2010-R&R 05.02.2018** **Total** **Contribution/subscription received from FOR** By Royalty, Publications etc. Interest on Saving Account **Reimbursement of Ombudsman expenditure from distribution licensees**	 **250**.00 325.00 575.00 - - 11.73	
B	**Expenditure:**		
1.	Salaries (Chairman & Member of the Commission)		49.45
2.	Salaries (Officers and Establishments)		117.50
3.	Payments for Professionals and Others Services. (a) Professional (b) Other Services (i) Outsourcing of personnel 57.77 (ii) Outsourcing for Housekeeping job 3.46 (iii) Outsourcing for security personnel 3.23		 120.00 64.46
4.	Domestic Travel	—	33.92
5.	Foreign Travel	—	-

6.	CPF *	—	10.80
7.	Electricity & Power	—	--
8.	Rent Rate & Taxes	—	24.28
9.	Vehicles (Hiring of Vehicles)	—	19.74
10.	Postage, Telephones& Communication Charges.	—	3.80
11.	Printing and stationery	—	2.26
12.	Subscription to FOR/ FOIR etc.	—	14.14
13.	Seminar and Conferences		2.59
14.	Legal Fee	—	2.90
15.	Advertising & Publication	—	13.28
16.	Others : a) Office Expenses 23.70 b) Bank Charges 0.16 c) Miscellaneous -----	—	23.86
17.	Machinery & Equipment	—	3.48
18.	Furniture & Fixture	—	--
19.	Expenditure on Ombudsman	—	45.10
	TOTAL	730.27	**551.56**
	Balance in Bank	—	**178.71**
	Total	**730.27**	**730.27**

* ***CPF is the Government contribution in respect of Chairman & Member.***

4.2 Statement of Fees and Charges

Annual License Fee

S.No.	Date of Receipt	State/UT/Other	Amount (in rupees)
1.	02.05.2017	Electricity Department, Puducherry	1,60,40,000
2.	27.06.2017	Electricity Department, Chandigarh	97,71,000
3.	06.06.2017	Electricity Department, Goa	1,72,00,000
4.	28.11.2017	DNH Power Distribution Corporation Limited (2016-17)	1,83,80,000
5.	20.12.2017	Electricity Department, Puducherry (2018-19)	1,43,96,200
6.	22.03.2018	Electricity Department, Goa (2018-19)	1,50,75,000
		Total	**9,08,62,200**

- **PETITION FEE FOR THE FY 2017-18**

A total of Rs. 2,86,70,219 (Two Crores Eighty Six Lakh Seventy Thousand Two Hundred and Nineteen only) was received as Petition/Miscellaneous fees, the details of which are given in Annexure-3.

5. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Smt. Rinku Gautam, Director (Finance & Law) was designated as the Public Information Officer of the Commission. The number of applications received and disposed off during the financial year is as under:-

Applications Received	07
Applications disposed off	07
Applications wherein information denied	Nil

6. WORK PLAN FOR THE YEAR AHEAD

6.1 JERC Regulations

Regulations are continuously being reviewed in view of the latest development/changes in Act/Policies and/or practices/procedure followed due to such changes in the Power Sector. In the financial year 2018-19, the following Regulations are envisaged for issuance/amendments:-

1. The Commission had issued the Multi Year Distribution Tariff Regulations for the first control period on 30.06.2014 which were applicable for a period of 3 years i.e. FY 2016-17 to FY 2018-19. As the first control period is coming to an end, therefore, the Multi Year Tariff Regulations for Generation, Transmission and Distribution utilities for the next control period shall be required to be framed, issued and notified by the Commission for the second control period for FY 2019-20 to FY 2021-22.

2. The Commission had issued JERC (Electricity Supply Code) Regulations,2010 on 20.05.2010 which were subsequently also amended from time to time. In view of the changes in the power sector environment and latest developments/concepts emerging in the power sector, there is a need to consolidate the Regulations and the amendment thereon and introduce new provisions to keep pace with the developments by repealing the existing Regulations and framing the new JERC (Electricity Supply Code) Regulations.

3. The Commission has issued Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations on 15.05.2015. These Regulations were applicable for a period of 3 years and accordingly their tenure is coming to an end on 14.05.2018. Accordingly the Commission intends to frame comprehensive Regulations covering Generation of Power from all renewable sources besides the Solar which will give an impetus to the growth of renewable generation in the territories under its jurisdiction.

6.2 Approval of Multi Year Business Plan Orders

The Commission shall examine the Business Plan Petitions for Multi Year Control Period from FY 2019-20 to FY 2021-22 filed by seven distribution licensees and one transmission licensee under its jurisdiction for issuance of Business Plan Orders.

6.3 Annual Revenue Requirements and determination of Retail tariff for the FY 2019-20

The Commission shall examine the Annual Performance Review and True up/(s) for the past FYs and determination of tariff for FY 2019-20 filed by the seven distribution licensees under its jurisdiction for issuance of Multi Year Tariff ARR and Multi Year Retail Tariff Order.

6.4 Issuance of Transmission Tariff Order

The MYT Transmission Tariff Order for Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli shall be issued for the FY 2019-20 to FY 2021-22.

6.5 Issuance of Generation Tariff Order

The MYT Generation Tariff Orders for Puducherry Power Corporation Limited shall be issued for FY 2019-20 to FY 2021-22.

6.6 State Advisory Committee Meetings

Regular meetings of the State Advisory Committee are being planned in terms of provisions of JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009. Two meetings of the Committee are scheduled to be held in the FY 2018-19.

Annexure-1

Details of CGRFs in all the territories

S.No	Name of the CGRF	Name of Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1	Goa	1. Sh. D.G. Deshpande 2. Vacant 3.Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member Nominated Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco , Goa-403802	8007275779 0832-2501836 09422063637	Adv.sandracorreia@gmail.com
2	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri K.G. Ravindran 2. Vacant 3. Sh. Basudev Dass	Chairperson Member Nominated Member	No. EL/0 3& 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	03192-244822(O) 09679507141	Cgrf.and@nic.in andcgrf@rediffmail.com
3	Chandigarh	1. Sh. R.K. Sahi 2. Sh. Jaswinder Singh Sidhu 3. Sh. Adarash Jain	Chairperson Nominated Member Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector 19-B, Chandigarh	9646118108 (0172-2542012) 09872318618	chairpersoncgrf@gmail.com
4	Daman & Diu	1. Sh. A.P. Waghmare 2. Sh. T.D. Davda 3. Sh. M.N.Kulkarni	Chairperson Member Nominated Member	Power House Building, Sea Facing road, Nani, Daman- 396210	09833849653 0260-2992330 (O) 09978228900 09969143683	anil.india28@gmail.com tarundavda@rediffmail.com
5	Dadra & Nagar Haveli	1. Sh. B.N. Mehta 2. Sh. Sunil Izari 3.Vacant	Chairperson Nominated Member Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, 66 KV substation, Amli Road, Silvassa-396230	09825400184 09824106776	Chairperson-cgrf@rediffmail.com
6	Lakshadweep	1. Sh. K.K. Kunhikrishnan 2 Smt. Sunidha Ismail KRB 3. Vacant	Chairperson Nominated Member Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT of Lakshadweep-682555.	9961848808	Lk-ktelect@nic.in
7	Puducherry	1.Sh. K. Ramasubramanian 2. Sh. A.S. Jitendra Rao 3. Sh. I Alwin Imanuel Jayaprakash	Chairperson Member Nominated Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry-605 005	9961848808 0413-2201351 0413-2201451	cgrfpon@gmail.com

Annexure-2

Representations/Appeals disposed of by Electricity Ombudsman during the financial year:-

State/ UTs	Number of representations	Subject matter	Remarks
Goa	03	1. Billing dispute 2. Billing dispute 3. Billing dispute	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 2. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 3. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer.
Chandigarh	03	1. Billing Dispute 2. Billing Dispute 3. Billing Dispute	4. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 5. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 6. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer.
Dadra and Nagar Haveli	01	1. Billing Dispute	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer
Puducherry	02	1. Billing Dispute 2. Billing Dispute	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer. 2. Admitted and award / Order issued in favour of the consumer.
Andaman & Nicobar Islands	01	1. Billing disputes	1. Admitted and award/ order issued in favour of the consumer.

Annexure-3

Petition Fees received during FY 2017-18:

Sl. No.	Date of Receipt	Petitioner/Electricity Department (ED)	Subject matter of petition	Amount (in rupees)
1.	01.04.2017	M/s SPCL	Fee for providing certified copy of Order dated 13.01.2017	1,010/-
2.	24.04.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for approval of agreement for "Procurement of Power by hiring DG sets with 11 kV generation voltage to supply electric power round the clock to the grid of existing power house at Havelock Island	2,00,000/-
3.	24.04.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for approval of agreement for procurement of power by hiring 2x750 kVA DG sets to deliver 500 kW electric power	2,00,000/-
4.	17.05.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for condonation of delay for filing petition	20,000/-
5.	29.05.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing miscellaneous petition	5,000/-
6.	29.06.2017	ED-Chandigarh	Fee for filing review petition in respect of Tariff Order dated 04.05.17	1,71,593/-
7.	29.06.2017	DNHPDCL	Fee for filing review petition in respect of Tariff Order dated 09.06.17	4,32,596/-
8.	04.07.2017	Open Access Users Association	Fee for filing petition	25,000/-
9.	13.07.2017 10.08.2017	M/s Wellknown Polyester Ltd.	Fee for review of cross subsidy surcharge determination notified in JERC Tariff	20,000/- 30,000/-

			Order dated 29.05.17	
10.	10.08.2017	ED-Chandigarh	Fee for filing review petition in respect of Tariff Order dt. 04.05.17	90,143/-
11.	08.08.2017	M/s APCPI	Fee for filing petition	25,000/-
12.	05.09.2017	DNHPDCL	Fee for PPA with GMR Warora Energy Ltd.	20,000/-
13.	18.09.2017	DNHPDCL	Fee for approval of True-up for FY 2016-17 for DNHPDCL	2,00,000/-
14.	11.09.2017	Open Access Users Association	Fee for filing petition	35,000/-
15.	12.09.2017	M/s APCPI of DNH	Fee for filing petition	30,000/-
16.	11.10.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing petition for approval of 1*750 kVA DG Sets	2,00,000/-
17.	06.11.2017	ED-Andaman & Nicobar Islands	Petition for approval of agreement for "Procurement of Power by hiring a DG Power plant to deliver **(i)5 MW (ii) 10 MW and (iii) 15 MW power** to 33 KV grid of ED-A&N (2,00,000/- each)	6,00,000/-
18.	24.11.2017	Puducherry Power Corporation Limited	Fee for filing tariff petition for 32.5 MW Gas Power Station for FY 2018-19	15,00,000/-
19.	06.12.2017	ED-Chandigarh	Fee for extension of time for filing tariff petition for FY 18-19	20,000/-
20.	30.11.2017	ED-Puducherry	Fee for filing petition for True up of FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and approval of Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	36,50,000/-
21.	08.12.2017	ED-Goa	Fee for filing petition for True up of FY	36,44,930/-

			2013-14 and approval of Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	
22.	08.12.2017	DNHPDCL	Fee for filing petition for True up of FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and approval of Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	61,76,867/-
23.	07.12.2017 15.12.2017	M/s SriSuraas Impex Private Limited	Fee for filing petition under Section 83 read with Section 63 and other provisions of EA, 2003 for directions	1,000/- 4,000/-
24.	19.12.2017	DNHPDCL	Additional Fee for filing tariff petition for FY 2018-19	10,00,000/-
25.	19.12.2017	ED-DNH (Transmission)	Fee for filing petition for True up of FY 2014-15, FY 2015-16 and FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and approval of Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	20,00,000/-
26.	22.12.2017	ED-Daman & Diu	Fee for filing petition for True up of FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and approval of Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	23,78,500/-
27.	13.12.2017	ED-A&N Islands	Additional Fee for filing tariff petition for FY 2018-19	10,00,000/-
28.	02.01.2018	Deptt of Science & Technology & CREST	Petition fee for seeking to allow as a special case in which Solar Power Generated at Water works, Chandigarh	10,000/-
29.	15.01.2018	ED-Chandigarh	Fee for filing petition for True up of FY 2016-17, Annual Performance Review of FY 2017-18 and approval of Annual	27,14,580/-

			Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2018-19	
30.	17.01.2018	Suryachakra Power Corporation Ltd.	Fee for filing petition to direct the ED-A&N to extend the PPA dt.20.11.17 for a further term of 5 years	5,000/-
31.	09.01.2018	ED-Goa	Additional Fee for filing tariff petition for FY 2018-19	10,00,000/-
32.	11.01.2018	ED-Lakshadweep	Additional Fee for filing tariff petition for FY 2018-19	10,00,000/-
33.	15.03.2018	M/s Tagore Theatre Society, Chandigarh	Fee for filing petition	5,000/-
34.	22.03.2018	Suryachakra Power Corporation Ltd	Petition under Section 83 and other provisions of EA, 2003	5,000/-
35.	16.03.2018	ED-Andaman & Nicobar Islands	Fee for filing PPA with NTPC vs. ED-Andaman & Nicobar Islands	2,00,000/-
36.	28.03.2018	M/s APCPI of DNH	Fee for filing petition for review of Tariff Order of DNH for FY 18-19	50,000/-
			Total	**2,86,70,219**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

Joint Electricity Regulatory Commission

(for the State of Goa and Union Territories)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, प्लॉट नं: 55-56, पाथकाइंड लैब बिल्डिग

सैक्टर-18, उद्योग विहार, फेज़-4, गुरूग्राम-122015(हरियाणा)

3rd & 4th Floor, Plot No.55-56, Pathkind Lab Building,

Sector-18, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)

Website: www.jercuts.gov.in

E-mail: secy-jerc@nic.in